

कार्य संतुष्टि

(JOB SATISFACTION)

आजीविका प्राप्त करना मानव का संवैधानिक अधिकार है जिसके अन्तर्गत विश्व के सभी देशों में मानव को समान अवसर प्रदान किया गया है। आजीविका का समान अवसर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में वर्णित है। कार्य करना पूर्णरूप से आजीविका से सम्बन्धित होता है। मानव को अगर कार्य का उचित पारिश्रमिक नहीं मिले तो वह कार्य नहीं कर सकता है। कार्य करने का यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। कार्य करने के स्वरूप में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। विश्वस्तर पर कार्य करने के स्वरूप में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। औद्योगिक युग में कार्य करने के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है तथा कार्य करने की मनोवृत्तियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं :-

(i) किसी भी प्रकार के कार्यों द्वारा अधिकाधिक धन प्राप्त करना तथा इसके अन्तर्गत नैतिक-अनैतिक साधनों पर ध्यान नहीं देना,

(ii) कार्य का प्रमुख उद्देश्य इज्जत एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रमुखता के साथ धन प्राप्त करना,

(iii) नैतिक साधनों के अन्तर्गत कार्य करके पारिश्रमिक प्राप्त करना साथ ही इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय कानून का पालन करना,

(iv) योग्यतानुरूप कार्य करना तथा अपनी मनोवृत्ति भी उसी के अनुरूप विकसित करना,

(v) भ्रष्टचार को बढ़ावा देते हुए कार्य करना तथा संविधान का उल्लंघन करना।

कार्य की अवधारणा में समय-समय पर परिवर्तनों ने मौलिक आवश्यकताओं में भी परिवर्तन किया। प्राचीनकाल में कार्य की समान अवधारणा का उद्देश्य मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था, परन्तु आधुनिक औद्योगिक युग में कार्य की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन हुआ है तथा इसकी मौलिक अवधारणा भौतिकवादी सुख-सुविधा की अत्यधिक प्राप्ति करना हो गया। इसी भौतिकवादी सुख-सुविधा से कार्य-संतुष्टि (Job Satisfaction) सम्बन्धित है। सामान्य शब्दों में कार्य-संतुष्टि का सम्बन्ध योग्यतानुसार एवं मनोवृत्ति अनुसार कार्य प्राप्त करना होता है। आधुनिक युग में कार्य-संतुष्टि एक विकट

समस्या बनकर विश्व के स
गयी है। कार्य-संतुष्टि की
ऐसा नहीं होने पर कुंठा की
समस्या का कारण बनता
समस्याओं का जन्म होता

कार्य-संतुष्टि बेरोज
वरन् विकसित देशों की
की समस्या से उसी प्र
बेरोजगारी एक प्रमुख
बेरोजगारी एवं कार्य-संतु
में कार्य-संतुष्टि की अ

का सामान्य सम्बन्ध मौ
रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त
सम्बन्ध मौलिक आव
में भी व्यापक अन्तर है
नई खोजों एवं अन्वेष

विकासशील देशों में
नहीं होता, वरन् इसक
है जो ब्रिटिश गुलामी
को किरानी बनाने प

है कि किसी प्रकार
राष्ट्रीय प्रशासनिक सं
परन्तु, इस सेवा में
ऋणात्मक प्रतिशत

के उपरान्त भी वि
योग्यतानुसार स्वतः
तरह स्पष्ट करता

प्रतिष्ठास्तर के छा
में आना ही नहीं

शिक्षकगण कार्य

भारत के

कारणों पर जब

नहीं आती। स

प्रच्छन्न बेरोजग

होती है जो प्रत्य

कर्मों बन पाते

समस्या बनकर विश्व के सामने आयी है। विकासशील देशों की यह एक प्रमुख समस्या बन गयी है। कार्य-संतुष्टि की सामान्य अवधारणा, योग्यतानुसार कार्य प्राप्त करने से होती है तथा ऐसा नहीं होने पर कुंठा की भावना से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है जो अनेक प्रकार की राष्ट्रीय समस्या का कारण बनता है। इस प्रकार कार्य संतुष्टि में कमी के कारण अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का जन्म होता है।

कार्य-संतुष्टि बेरोजगारी से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। बेरोजगारी न सिर्फ विकासशील, वरन् विकसित देशों की भी प्रधान समस्या बन गयी है। पश्चिमी विकसित देश भी बेरोजगारी की समस्या से उसी प्रकार ग्रसित हैं जिस प्रकार विकासशील देश। भारत के सामने भी बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से कार्य-संतुष्टि से है। बेरोजगारी एवं कार्य-संतुष्टि एक-दूसरे से परस्पर जुड़ी हैं। विकासशील एवं विकसित देशों में कार्य-संतुष्टि की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन हुआ है। विकसित देशों में बेरोजगारी का सामान्य सम्बन्ध मौलिक आवश्यकताओं की प्राप्ति से नहीं है तथा इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त करने से होता है। परन्तु, विकासशील देशों में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मौलिक आवश्यकता की पूर्ति से होता है। इस प्रकार कार्य-संतुष्टि की अवधारणा में भी व्यापक अन्तर है। विकसित देश में कार्य-संतुष्टि की अवधारणा का सम्बन्ध पूरी तरह नई खोजों एवं अन्वेषणों से होता है तथा मुद्रा सहायक तत्व के रूप में कार्य करती है। परन्तु विकासशील देशों में कार्य-संतुष्टि की अवधारणा का सम्बन्ध नयी खोजों एवं अन्वेषणों से नहीं होता, वरन् इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध सरकारी कार्यालयों में आजीविका प्राप्त करने से होता है जो ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता का द्योतक है। मैटकाले ने अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्तियों को किरानी बनाने पर जोर दिया तथा तब से लेकर आज तक यह मानसिकता कार्य कर रही है कि किसी प्रकार किरानी की नौकरी प्राप्त कर ली जाए। विकासशील देश में अखिल राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा में योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा। परन्तु, इस सेवा में बैठने वाले व्यक्ति या सफल उम्मीदवारों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर ऋणात्मक प्रतिशत को प्राप्त करती है। अधिकांश विद्यार्थी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त भी किरानी की नौकरी प्राप्त करने को श्रेयस्कर समझते हैं, जबकि अन्य योग्यतानुसार स्वतंत्र पेशे को अपनाना हीन समझते हैं जो मानसिकता की निकृष्टता को पूरी तरह स्पष्ट करता है। अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देशों में स्नातकोत्तर एवं प्रतिष्ठास्तर के छात्र पत्रकारिता, लेखन, शोधकार्य को उचित समझते हैं तथा सरकारी नौकरी में आना ही नहीं चाहते। इस सभी का सम्बन्ध कार्य-संतुष्टि से है। विद्यार्थीगण एवं शिक्षकगण कार्य-संतुष्टि के स्वरूपीय अन्तर को इससे स्पष्ट रूप से समझ जाएँगे।

भारत के सन्दर्भ में कार्य-संतुष्टि पूर्णतः बेरोजगारी से सम्बन्धित है। बेरोजगारी के कारणों पर जब भारत के सन्दर्भ में ध्यान केन्द्रित किया जाता है तो कहीं भी बेरोजगारी नजर नहीं आती। सम्पूर्ण रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में पायी जाती है। भारतीय सन्दर्भ में प्रच्छन्न बेरोजगारी को इस प्रकार समझा जा सकता है, "प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य-संतुष्टि से सम्बन्धित है। शिक्षित भारतीय युवक न ही शोध कर्मी बन पाते हैं और न ही किसी योग्यतानुसार स्वतंत्र पेशे को अपनाने को श्रेयस्कर समझते

हैं। वरन् इन सबसे उपयुक्त वह सरकारी कार्यालय में क्लर्क की नौकरी को उचित समझते हैं। आज मुद्रा का अत्यधिक विस्तार हो रहा है, पूरे देश में मुद्रा पूर्णतया प्रसारित हो गयी है। भविष्य में मुद्रा का और भी प्रसार होने की सम्भवना है जिस कारण बेरोजगारी वस्तुतः प्रच्छन्न बेरोजगारी है तथा इसकी समाप्ति का सर्वोत्तम उपाय मानसिकता को बदलने का है जो समय के साथ स्वतः ही हो जाएगा।"

कार्य-संतुष्टि से सामान्यतः निम्नलिखित तथ्य सम्बन्धित हैं :-

(i) योग्यता (Competence)—योग्यता कार्य निर्धारित करने का एक मापदण्ड होता है। भारत में अगर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की प्रतिशतता को गिना जाए तो इसकी संख्या करोड़ों में पहुँच जाती है। परन्तु, ये स्नातक एवं स्नातकोत्तर किरानी की नौकरी के अनुरूप ही अपने-आप को उचित समझते हैं, जबकि किरानी की नौकरी का शैक्षणिक स्तर भारत सरकार द्वारा 10वीं पास तय किया गया है। ये शिक्षित युवक-युवतियाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित रहते हैं तथा नौकरी नहीं प्राप्त होने का रोना रोते हैं। वस्तुतः इनकी मानसिकता सरकारीकरण के इर्द-गिर्द ही घूमती है। अन्य प्रकार के कार्यों में ये अपने को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इन्हें वास्तविक रूप में अपनी योग्यता के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता जिस कारण ये कार्य-संतुष्टि की बात करते हुए अक्सर यह कहते हैं कि वे अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं।

(ii) मानसिकता (Mentality)—भारत में शोधकर्मी एवं लेखकगण भी अपने-आप से संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उसके अनुरूप न उन्हें पारिश्रमिक ही मिलता है और न ही वैसी इज्जत ही प्राप्त होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्राप्त होती है। अमरीका एवं अन्य विकसित पश्चिमी देशों में शोधकर्मी एवं लेखकगण को उचित सम्मान एवं पारिश्रमिक प्राप्त होता है। शोधकर्मी एवं लेखकगण का वास्तविक आँकड़ा अगर भारत में उपलब्ध किया जाए तो यह भी ऋणात्मकता को प्राप्त करेगा। अमरीका मस्तिष्क की इज्जत करता है तथा इसके लिए सभी प्रकार की कानूनी उदारता बरतने को तैयार रहता है जिस कारण अधिकांश शोध आज तक अमरीकी विद्वानों ने ही किया है। जेनेटिक कोड जैसे जैव-शास्त्रीय शोधों से लेकर नवीनतम युद्धास्त्रों एवं इतिहास-दर्शन से लेकर अन्य विषयों में अधिकांश सिद्धान्तों का निरूपणकर्ता अमरीका ही है। इसकी मुख्य वजह अमरीका द्वारा विश्व के उर्वर मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित करना रहा है। विद्वानगण इसी कारण अमरीका को अपनी विद्वत्ता के निखार के लिए उपयुक्त स्थल मानते हैं। भारतीय मानसिकता इसके विपरीत है। इस प्रकार, कार्य-संतुष्टि का सम्बन्ध मानसिकता से भी है।

(iii) काम-संतुष्टि (Sexual Satisfaction)—कार्य-संतुष्टि किसी-न-किसी स्तर पर काम संतुष्टि से सम्बन्धित होती है। भारत में काम इतने तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं तथा बचपन से ही बच्चों पर इस प्रकार की दकियानूसी एवं परम्परावादी विचारधारा का प्रभाव डाला जाता है कि लड़की एवं लड़के को अलग-अलग समझा जाता है। काम-शास्त्रीय शिक्षा एवं अनेक प्रकार की प्रतिबंधात्मक बाल्यकारी मनोवृत्ति, युवावस्था में संभोगीय प्यास के रूप में फूटती है। इससे काम-संतुष्टि पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ता है। सह-शिक्षा की अवधारणा भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पायी है तथा लड़के-लड़की के आपस में मिलने पर

अनेक प्रकार के अवरोध यहाँ व्याप्त हैं जिस कारण अनेक सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएँ यहाँ प्रत्येक दिन उत्पन्न होती हैं। लड़की को कार्य करने की ओर प्रेरित करने की अपेक्षा अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। अमरीका में प्रथम वर्ग से लड़के एवं लड़की को कामशास्त्र की पूर्ण शिक्षा दी जाती है जिस कारण उन लोगों में बाह्य शारीरिक सम्पर्क एवं अन्य कामशास्त्रीय वार्तालापों का कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लड़का एवं लड़की परस्पर मस्तिष्क का आदान-प्रदान करते हैं तथा दोनों ही सफल होते हैं। भारत में काम को प्रारम्भ से ही अंकुश में ढाला गया है जिस कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यद्यपि भारतीय संविधान लड़की एवं लड़के के परस्पर सम्बन्ध को सुदृढ़ करने के लिए लव मैरिज में बाधा डालने वाले को सख्त सजा का जिक्र करता है तथा सहशिक्षा को विकसित करने पर जोर देता है। परन्तु, सामाजिक अशिक्षा एवं विकास की मनोवृत्ति के अभाववश भारतीय जनमानस अभी भी एक ओर मध्यकालीन दौर से गुजर रहा है, जबकि दूसरी ओर कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने इस कटु सत्य को स्वीकार कर अपने को विकास एवं राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ लिया है। वस्तुतः कार्य-संतुष्टि (Job-Satisfaction) का सम्बन्ध काम-संतुष्टि से होता है। अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों में बलात्कार की घटना अत्यल्प होती है, जबकि भारत में इसकी संख्या सर्वाधिक है। धर्म के पोंगा-पण्डित ठेकेदार इसमें अहम् भूमिका अदा करते हैं। यद्यपि, हाल के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भारतीय जनता को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे ठेकेदारों के सम्बन्ध में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराए।

(iv) व्यावसायिक शिक्षा का अभाव (Lack of Professional Education)—भारत में सामान्य धारणा अभी तक सामान्य रूप से स्नातकोत्तर करने की होती है। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा आम व्यक्ति भी अच्छी-से अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। आज के मुक्त व्यापार युग में विदेशी एवं देशी उद्योगों (बड़ी इकाई) में भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसलिए कार्य-संतुष्टि का सामान्य सम्बन्ध प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं रूढ़िवादी परम्परागत मान्यताओं से है। पश्चिमी देशों में कार्य-संतुष्टि की अवधारणा ही भिन्न है जिसका वर्णन पूर्व ही किया जा चुका है।